न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 98/2023

आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय— भू तल, एस.32, जे.डी.ए. मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिद्धी सिद्धी स्वीटस के पास, जयपुर राजस्थान—302018 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री नेम सिंह

...प्रार्थी

बनाम

1. **Mr. Satya Narayan Joshi s/o Mr. Ramji Lal Joshi**
   (Applicant/Borrower & Mortgagor)
   Address 1- Ward No.8, Opposite SBI Bank, Sikendra Road, Moffusil Bandikui, Dausa, Rajasthan- 303313
   Address 2- Meetarwari Delari, Moffusil, Dausa, Rajasthan- 303313
   Address 3- M/S Joshi Oil Mill, Sikendra Road, Moffusil Bandikui, Dausa, Rajasthan- 303313
   Address 4- Khasra No. 103] Ward No.8, Bandikui, District Dausa, Rajasthan- 303313
2. **Mr.Mohanlal Mr. Ramji Lal Joshi**
   (Co Applicant/ Co-Borrower)
   Address 1- 12, Rajasthan Society, Block No.33, Near Anil STACH, Bapu Nagar, Ahmedabad City, GuJarat-380018
   Address 2- Meetarwari Delari, Moffusil Baswa, Dausa, Rajasthan-303313
   Address 3- Khasra No. 103, Ward No.8, Bandikui, District Dausa, Rajasthan- 303313
3. **Mrs. Tara Devi**
   (Applicant/Borrower)
   Address 1- Ward No.8, Opposite SBI Bank, Sikendra Road, Moffusil Bandikui, Dausa, Rajasthan- 303313
   Address 2- Meetarwari Delari, Moffusil, Dausa, Rajasthan- 303313
   Address 3- Khasra No. 103] Ward No.8, Bandikui, District Dausa, Rajasthan- 303313

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002

उपस्थिति : श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 06.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी को 66,28,741/—(रूपये छियासठ लाख अठाईस

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हजार सात सौ इकतालीस मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति श्री सत्यनारायण जोशी पुत्र श्री रामजीलाल जोशी की आवासीय संपत्ति जो खसरा नंबर 103 सिकन्दरा रोड, वार्ड नं0. 8, बांदीकुई जिला दौसा राज0 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 357.50 वर्गगज एवं वाणिज्यिक संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 226.11 वर्गगज उक्त दोनों संपत्तियों का संयुक्त क्षेत्रफल 583.61 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई0सी0आई0सी0आई0 होम फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official